कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/यू0जी0–2020/2243 लखनऊःदिनांकः18 नवम्बर, 2020

त्याग–पत्र (Resign) दिये जाने के संबंध मे आवश्यक सूचना

यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 के संबंध मे निर्गत नीति निर्धारण विषयक दिनांक 29 अक्टूबर 2020 तथा ब्रोशर मे निहित प्राविधानो के अनुसार प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जो यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 की प्रथम काउन्सिलिंग से आवंटित सीट से त्याग–पत्र देना चाहते है, तो वह द्वितीय चक्र की च्वाइस फिलिंग के पूर्व अर्थात **दिनांक 02.12.2020 को अपराह्न 4.00 तक** निम्नांकित शर्तो के अधीन **त्याग–पत्र** दे सकते है:–

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से सीट आवंटित हुई है और प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उन्हे **ऑल इण्डिया अथवा अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग से सीट आवंटित हुई है, तो वह अपना आवंटन पत्र की प्रति निर्धारित नोडल सेन्टर (जहाँ प्रवेश प्रकिया पूर्ण की हो) पर प्रस्तुत कर त्याग–पत्र दे सकते है, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी शिक्षण शुल्क की धनराशि मे से 10 प्रतिशत की कटौती कर शेष शिक्षण शुल्क एवं धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।**
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से सीट आवंटित हुई है और वह प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् **व्यक्तिगत कारणो से सीट से त्याग–पत्र देना चाहते है, तो वह उक्त निर्धारित तिथि तक अपना त्याग–पत्र दे सकते है। ऐसे अभ्यर्थियो द्वारा जमा धरोहर धनराशि एवं शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।**
- **निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थियो को सीट रिक्त करने की अनुमति नही होगी। यदि फिर भी अभ्यर्थी द्वारा त्याग–पत्र दिया जाता है, तो उसके द्वारा जमा किया गया शिक्षण शुल्क एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।**

Dee

महानिदेशक।